राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 993/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
जय प्रकाश हरवानी जे-157] पाश्र्वनाथ सिटी] संगारिया पाल बाईपास रोड, Jodhpur,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव उपनिवेशन विभाग शासन सचिवालय Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 26/03/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा, संयुक्त शासन सचिव उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 28-08-2017 के द्वारा दोहरे आवंटन वाली कस्टोडियन भूमि के निस्तारण संबंधी ए टू जे बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी के आवेदन के साथ आवेदन शुल्क प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी के आवेदन को पत्र दिनांक 13-09-2017 से वापस कर दिया था। अपीलार्थी द्वारा आवेदन शुल्क संलग्न कर प्रेषित करने पर अपीलार्थी के आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत पत्र दिनांक 05-10-2017 से जिला कलेक्टर जैसलमेर व अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन जैसलमेर को अन्तरित किया गया। जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 16-03-2018 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है तथा अतिरिक्त आयुक्त उप निवेदशन विभाग द्वारा सहायक आयुक्त मोहनगढ़ से सूचना प्राप्त कर पत्र दिनांक 21-03-2018 से अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। उपरोक्त पत्रों की प्रति सचिवालय को प्राप्त होने पर अपीलार्थी को पत्र दिनांक 08-03-2018 व 21-03-2018 से प्रेषित की जा चुकी है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 22-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 13-09-2017, 05-10-2017, 05-03-2018, 08-03-2018, 13-03-2018, 15-03-2018 व 21-03-2018 की प्रति संलग्न की गई है।
7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है जो बलहीन है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त